

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक— 3/पी0एम0सी0/ कार्य — 417 / 2021-22 प्र०ट्टी० / राँची, दिनांक— ३०.१२.२१

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिन्नु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए Conducting outsourced work for marking and temporary pegging of the boundary of forest land and enumeration of trees involved in Kanhar Barrage Project हेतु रु० 3,16,57,500 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख सनतावन हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

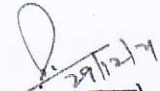
आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभागान्तर्गत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन “Conducting outsourced work for marking and temporary pegging of the boundary of forest land and enumeration of trees involved in Kanhar Barrage Project” कार्य के निमित्त रु० 3,16,57,500 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख सनतावन हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा WP (PIL) No.- 4663/2009 के सन्दर्भ में प्रदत्त आदेश के अनुपालन में माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री देवकी नन्दन प्रसाद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक— 13.11.2020 को सम्पन्न 65वीं बैठक की कार्यवाही द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि “प्रस्तावित कनहर बराज परियोजना अंतर्गत Forest Clearance के क्रम में वृक्षों के गणना का कार्य Outsourcing Agency के माध्यम से कराया जाए।”
4. कंडिका-3 में उल्लेखित निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा सुयोग्य एजेन्सी के चयन हेतु EOI आमंत्रित किया गया एवं विभागीय निविदा समिति द्वारा EOI में भाग लेने वाले निविदादाताओं में से निविदादाता का चयन विधिवत निम्नानुसार किया गया है :-

क्र०	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण करने की अवधि (एकरारनामा की तिथि से)	राशि कर सहित (रु० में)
1.	Conducting outsourced work for marking and temporary pegging of the boundary of forest land and enumeration of trees involved in Kanhar Barrage Project	75 दिन	रु० 3,15,00,000. 00

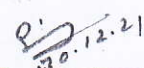
5. कंडिका-4 में उल्लेखित राशि रु० 3,15,00,000.00 के अतिरिक्त आकस्मिकता मद में रु० 1,57,500.00 (0.5%) का प्रावधान करते हुए, प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि रु० 3,16,57,500.00 मात्र है।
6. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-
मॉग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष - 001- निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष -75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, 00- sub scheme code, विस्तृत शीर्ष - 06- अनुदान, 49- आर्थिक सहायता (49-S-4701-80-001-75-00-06-49) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रु० 316.575 लाख राशि विकलनीय होगा। वर्ष 2021-22 के बजट में प्रावधानित शीर्ष के अन्तर्गत रु० 200.00 लाख का उपबंध है।
7. इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु योजना/कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. इस कार्य हेतु निधि की निकासी गढ़वा कोषागार से की जाएगी।
9. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम- 174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

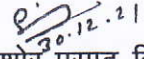

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक- 3/पी०एम०सी०/ कार्य - 417/2021-24/21-22 राँची, दिनांक- 30.12.21

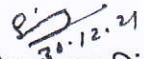
प्रतिलिपि:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

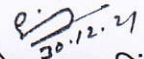
पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 417/2021-24/21-22 राँची, दिनांक- 30.12.21
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

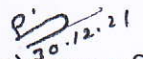
पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 417/2021-24/21-22 राँची, दिनांक- 30.12.21
प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ई0 सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृतादेश निर्गत करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/ कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 417/2021-24/21-22 राँची, दिनांक- 30.12.21
प्रतिलिपि:- उपायुक्त, पलामू/गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

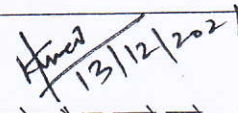
पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 417/2021-24/21-22 राँची, दिनांक- 30.12.21
प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)



योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु चेक लिस्ट :-

1	कार्य का नाम	:-	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए Conducting outsourced work for marking and temporary pegging of the boundary of forest land and enumeration of trees involved in Kanhar Barrage Project हेतु रु० 3,16,57,500 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख सनतावन हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
2	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	:-	रु० 3,16,57,500.00
3	प्रस्तावित विकलनीय बजट शीर्ष	:-	49-S-4701-80-001-75-00-06-49
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये विकलनीय बजट शीर्ष में एकमुस्त प्रावधान	:-	रु० 200.00 लाख
5	विकलनीय बजट शीर्ष में अद्यतन निर्गत आवंटन	:-	रु० 6.36 लाख
6	अवशेष बजट उपबंध	:-	रु० 193.64 लाख
7	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	:-	कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा
8	नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम	:-	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर
9	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार	:-	विभागीय सचिव
	(i) विभागीय सचिव	रु० 5.00 करोड़ तक	
	(ii) विभागीय मंत्री	रु० 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 15.00 करोड़ तक	
	(iii) विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री	रु० 15.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 25.00 करोड़ तक	
	(iv) राज्य मंत्रिपरिषद	रु० 25.00 करोड़ से अधिक	
10	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना/कार्य से लाभ	:-	कनहर बराज परियोजना अंतर्गत Forest Clearance के क्रम में वृक्षों के गणना का कार्य।
11	योजना पूर्ण किये जाने की अवधि (वर्ष)	:-	वर्ष 2021-22
12	क्या संलेख/स्वीकृत्यादेश प्रारूप में यथा निर्देशित अवयववार विवरणी अंकित है?	:-	हाँ
13	भूमि उपलब्धता विवरणी :	:-	लागू नहीं।
14	यदि योजना में भू-अर्जन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?	:-	लागू नहीं।
15	यदि योजना में वन-भूमि अपयोजन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	:-	लागू नहीं।
16	यदि योजना में सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	:-	लागू नहीं।


 संलेख/स्वीकृत्यादेश तैयार करने वाले
 पदाधिकारी का हस्ताक्षर